

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 22/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
अप्रार्थी

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी अनुपस्थित।

:—निर्णय:—

दिनांक: 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 3348 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 3349 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 3350 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि सम्वत 2003 में गै0मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1771 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नली बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1771 मिन से खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.07 है. किस्म गै0मु0 खातली बने, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आवंटन आदेश दिनांक 9.06.1989 के द्वारा कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22.06.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण को निरस्त कर फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 3348 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 3349 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 3350 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि सम्वत 2003 में गै0मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1771 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नली बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1771 मिन से खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.07 है. किस्म गै0मु0 खातली बने, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आवंटन आदेश दिनांक 9.06.1989 के द्वारा कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22.06.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में खाता संख्या 29 में उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर दौसा

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर दौसा